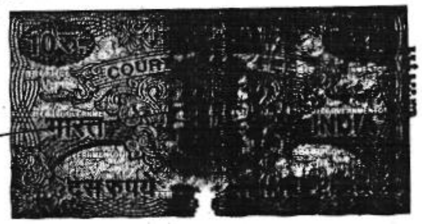

95

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंडल ग्वालियर जिला ग्वालियर ﴾म.प्र.﴿

नि/टीकमगढ़/भू.रा./2017/6155

1. काशीराम तनय रामप्रसाद ढ़ीमर
2. कनई ﴾कन्हैया﴿ तनय मुलुवा ढ़ीमर
3. परसादी ढ़ीमर सभी निवासीयान ग्राम देरी तहसील खरगापुर जिला टीकमगढ़ ﴾म.प्र.﴿

...निगरानीकार

बनाम

नथुवा, धर्मा पुत्रगण करंजू ढ़ीमर निवासी देरी तहसील खरगापुर जिला टीकमगढ़ म.प्र.

...उत्तरवादीगण

आवेदन पत्र अंतर्गत धारा-50 म.प्र.भू.रा.सं. 1959

निगरानी आवेदन पत्र प्रतिकूल आदेश राजस्व निरीक्षक खरगापुर तहसील खरगापुर जिला टीकमगढ़ म.प्र. के प्रकरण क्रमांक-50/अ-12/16-17 में पारित आदेश दिनांक 21.06.2017 के विरुद्ध

महोदय,

उपरोक्त निगरानी प्रकरण में निगरानीकारों की विनय निम्न प्रकार है

﴾1﴿ यह कि भूमि खसरा नम्बर-146/2 रकवा 2.000 हैक्टेयर स्थित ग्राम गती के सीमांकन में पारित किया गया आदेश विधि विधान के प्रतिकूल होने के कारण निरस्ती योग्य है ।

﴾2﴿ यह कि संहिता की धारा-129 में प्रावधान निहित की तरहदी कृषकों को सूचना दिया जाना आवश्यक है परन्तु उपरोक्त प्रकरण में सीमांकन की निगरानीकारों को कोई सूचना नहीं दी गई जिससे उपरोक्त सीमांकन आदेश निरस्त योग्य है ।

﴾3﴿ यह कि उपरोक्त सीमांकन प्रकरण में विधिवत् सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया एवं राजस्व निरीक्षक खरगापुर द्वारा सीमांकन के उपरांत आपत्तियां आमंत्रित नहीं की गई जिससे निगरानीकारों को सुनवाई का समचित अवसर नहीं

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक एक/निगरानी/टीकमगढ़/भू.रा./2017/6155 काशीराम विरूद्ध नथुवा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
31-12-2018	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री दिवाकर दीक्षित उपस्थित । 3. प्रस्तुत निगरानी राजस्व निरीक्षक मण्डल खरगापुर तहसील खरगापुर के प्रकरण क्रमांक 50/अ-12/2016-17 में पारित आदेश दिनांक 21-06-2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई थी । 4. म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 में किये गये संशोधनवर्ष 2018 के अनुसार सीमांकन आदेश के विरूद्ध आपत्ति सुनवाई के अधिकार अनुविभागीय अधिकारी को दिये गये है । 5. अत: प्रकरण सक्षम न्यायालय में सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी को प्रत्यायोजित किया जाता है । उभय पक्ष दिनांक 22-02-2019 को अनुविभागीय अधिकारी के यहां उपस्थित हो । अधीनस्थ न्यायालय को अभिलेख भेजा जाये । 31.12.18 (आर.के. जैन) सदस्य	